दिनांक 11.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 371/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 10.07.2026 को थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिटहैरा नहर पर पैरीफेरल अण्डर पास के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ आशू उर्फ भोला घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना दादरी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, एटा, इटावा के विभिन्न थानों पर हत्या, लूट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अशोक कुमार उर्फ आशू उर्फ भोला निवासी ग्राम जिटोली थाना निधोली कलां जनपद एटा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना ककोड

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद**

दिनांक 11.07.2026 को थाना ककोड व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमित उर्फ जानू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना ककोड पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के थाना ककोड पर हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना ककोड पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित उर्फ जानू निवासी ग्राम धनौरा थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा मय कारतूस।

जनपद महोबा/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 09 हजार 500 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 10/11.07.2026 की रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करिया पठवा के पास बदमाशों को रोकने प्रयास किया गया तो

बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–विपिन घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–कमल 3–पिंकिल सहित गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 09 हजार 500 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त विपिन के विरूद्ध जनपद जालौन, झांसी, मेरठ, कानपुर देहात, महोबा व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्ट एक्ट आदि के 17 अभियोग व अभियुक्त पिंकिल के विरूद्ध जनपद जालौन, झांसी, कौशाम्बी व महोबा के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–विपिन निवासी पटेलनगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

2–कमल निवासी पटेलनगर थाना कोतवाली जनपद जालौन।

3–पिंकिल निवासी पिलखनी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 09 हजार 500 रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

- **<u>जनपद मीरजापुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 50 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद मीरजापुर पुलिस ने अभियुक्त इमरान पुत्र इशरार निवासी 39 बटालियन रोड रैबन्ना थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 50 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

दिनांक 11.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 372/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर अमेठी पुलिस द्वारा मात्र 08 मिनट में पीड़ित के घर पहुंचकर उसके प्राणों की रक्षा की गयी</u>

- **जनपद अमेठी के थाना जायस की पुलिस द्वारा मात्र 08 मिनट के अन्तराल में पीड़ित के घर पहुंचकर उसके प्राणों की रक्षा की गयी।**
- **दिनांक 10-07-2026 को जनपद अमेठी के 19 वर्षीय पीड़ित द्वारा आर्थिक तंगी के कारण उत्पन्न अवसाद में आत्महत्या सम्बन्धी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया।**
- **पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार मुख्यालय द्वारा प्राप्त अलर्ट के आधार पर तत्काल पीड़ित की लोकेशन ट्रेस कर जनपद अमेठी को सूचित किया गया।**
- **उत्तर प्रदेश पुलिस को मेटा सुसाइडल अलर्ट की नवीन पहल के लिए प्रतिष्ठित SKOCH Award-2025 तथा The Economic Times GovTech Awards-2026 से सम्मानित किया गया है।**
- **दिनांक 01-01-2023 से 05-07-2026 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 3322 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।**

दिनांक 10-07-2026 को जनपद अमेठी के थाना जायस निवासी लगभग **19 वर्षीय पीड़ित द्वारा हाथ की कलाई को काटकर "सब मेरी गलती है भगवान" यह टेक्स्ट लिखकर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट** किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 10-07-2026 को रात्रि 12:50 AM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के माध्यम से अलर्ट प्राप्त हुआ, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण द्वारा उक्त अलर्ट पर तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कंपनी द्वारा भेजे गए अलर्ट का संज्ञान लेते हुए मुख्यालय के सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर के आधार पर तत्काल पीड़ित की लोकेशन ज्ञात कर जनपद अमेठी को प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर जनपद **अमेठी के थाना जायस के उ0नि0 हरिराम पाल, हे0का0 अब्बास खां व आरक्षी प्रदुम्न मात्र 08 मिनट में पीड़ित के घर पहुँच गए त**था परिजनों को उसकी पोस्ट की जानकारी देकर तत्काल पीड़ित के कमरे में पहुँचे, तो देखा की **वह हाथ की कलाई में ब्लेड से छोटे छोटे कट मार रहा था जिनमे से ख़ून रिस रहा था** साथ ही पीड़ित कुछ बड़बड़ा रहा था। पीड़ित अत्यंत अवसाद की स्थिति में था। पुलिस कर्मियों ने बिना समय गंवाए पीड़ित के हाथ से ब्लेड छीनकर फेंका और परिजनों के सहयोग से उसको नज़दीकी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर चिकित्सक द्वारा पीड़ित का उपचार कर घर भेज दिया गया।

पीड़ित के सामान्य स्थिति में आने पर पूछताछ के दौरान उसने बताया कि **वह कक्षा 12 पास है और एक कंपनी में ए.सी. रिपेयरिंग तथा वॉशिंग का काम करता था। कुछ समय पहले पीड़ित का उस कंपनी से काम छूट गया और उसको कहीं काम नहीं मिल पा रहा था।, घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, जिस कारण वह मानसिक रूप से अत्यंत व्यथित एवं अवसादग्रस्त हो गया था। इसी मानसिक तनाव के चलते उसके मन में आत्मघाती विचार उत्पन्न हुए और उसने यह कदम उठाया।**

पुलिस द्वारा की गई काउंसलिंग में पीड़ित ने भविष्य में ऐसा कोई कदम नही उठाने का आश्वासन दिया। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस की तत्परता, मानवीय संवेदनशीलता एवं सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए पुलिसकर्मियों की सराहना की गयी।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई-मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। **दिनांक 01-01-2023 से 05-07-2026 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 3322 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।**